Serial No. 4527 Circle:-:Khagaria Book No. - 1 Deed No. 4492

Lease Agreement 7848000/- Khe dis 3488 Rent 5/-

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

INDIA

बिहार BIHAR

विनोद कुमार 19/08/2021 AH 669778

क्रम संख्या	विक्रय तिथि	मुद्रांक मूल्य	क्रेता का नाम और पता
2100	19/08/21	1000=00	खुशी कुमारी
		1000×1	पति श्री चन्दन कुमार आर्य

विनोद कुमार
मुद्रांक विक्रेता, क्र0 सं0-02/2001
व्यवहार न्यायालय, खगड़िया
T.NO C30657-1000×1

जिला निबंधन कार्यालय, खगड़िया, थाना-मुफस्सिल
मुद्रांक विक्रेता - खगड़िया

दिनांक 21/08/2021 को Jawahar Prasad Singh द्वारा [illegible] निबंधन हेतु उपस्थापित किया गया। इसमें रु0 71620 मुद्रांक शुल्क एवं रु0 24044 निबंधन तथा अन्य शुल्क [illegible] किया गया। [illegible] निष्पादकों ने मेरे समक्ष इसका निष्पादन स्वीकार किया [illegible] हस्ताक्षर पीछे अंकित हैं। इसे दस्तावेज सं0 4492 के रूप में पुस्तक सं0 1 की जिल्द सं0 70 के पृष्ठ सं0 340 से 345 तक CD 11 में आज निबंधित एव कुल 7 पृष्ठों में संधारित किया गया।

21/08/2021

टोकन नं0 4562/2021

T=4552

परती जमीन का पट्टा

(Lease Agreement For Vacant Land)

1.लेख्यकारी/निष्पादक (पट्टाकर्ता)- जवाहर प्रसाद सिंह उम्र-66 वर्ष पिता स्व0 रामउदगार सिंह जाति-भूमिहार निवासी ग्राम बछौता थाना गोरकाही जिला खगड़िया राज्य बिहार राष्ट्रीयता भारतीय (प्रथम पक्ष)
मो0 नं0-8773748117

2.लेख्यधारी (पट्टाधारक):- खुशी कुमारी उम्र-27 वर्ष पति श्री चन्दन कुमार आर्य जाति-दुसाध निवासी ग्राम संसारपुर परगना-[illegible] थाना मुफस्सिल जिला खगड़िया राज्य बिहार राष्ट्रीयता भारतीय (द्वितीय पक्ष)
मो0 नं0 -9473041737

21/8/2021

3.विलेख प्रकार :- पट्टा/किरायानामा 29 (उनतीस) वर्षो के लिए प्रभावी रहेगा और दोनो पक्षों की आपसी सहमति से नये शर्तों के अनुरूप नया पट्टा का नवीकरण नये विलेख निबंधन के माध्यम से किया जाएगा।

4. किराया:- 85,000/- पचासी हजार रू0 प्रति वर्ष प्रत्येक तीन वर्ष में किराया की मूल राशि मे 5 प्रतिशत किराया मे वृद्धि होगी।

5. किरायेदारी संपति का विवरण:- रकवा 0-8-0-0 आठ कट्ठा अराजी यानि 34.88 डिसमल सर्वे पैमाईश बलगो साढे छ हाथ से।

किस्म :- ग्रामीण क्षेत्र व्यवसायिक।

मौजा बछौता थाना सं0 190 तौजी सं0 9711 परगना फरकिया थाना मोरकाही अंचल वो निबंधन कार्यालय एव जिला खगड़िया राज्य बिहार लगान 5/- रू0 अलाव शेष जमाबंदी नं0 68 भाग वर्तमान-1 पृष्ट सं0-3204 लेख्यकारी के दादा के नाम से दर्ज है।

भूमि का विवरण

खाता	खेसरा	रकवा
168 एक सौ अड़सठ	356 तीन सौ छप्पन	0-8-0-0 आठ कट्ठा

उत्तर	दक्षिण	पुरब	पश्चिम
नीज	हरेराम सिंह	अलौली बछौता सड़क	नीज

संदर्भ

1. यह कि कंडिका 5 में वर्णित सम्पति पर प्रथम पक्ष का पूर्ण स्वत्व एवं दखल कब्जा निर्विवाद रूप से प्राप्त है,जिसपर प्रथम पक्ष को किसी भी व्यक्ति अथवा अन्य को किराया/पट्टा पर देने का पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं।

2. यह कि द्वितीय पक्ष उक्त कंडिका 5 में निहित परिसर को किराये पर लेने को इच्छुक है जिसपर प्रथम पक्ष ने निम्नलिखित शर्तो पर द्वितीय पक्ष को किराये पर देने में सहमत हैं। तथा दोनों पक्ष निम्नलिखित शर्तो को मंजूर एवं स्वीकार करते है

3. यह कि उक्त कंडिका 5 में वर्णित परिसर 29 (उन्तीस)वर्षों के लिए किरायेदार के किरायेदारी में रहेगा एवं वह किराये की शर्तो के अनुसार उपयोग एवं उपभोग कर सकेंगे।

6

4. यह कि किरायेदारी पेट्रोल पम्प प्रारंभ होने की तिथि से द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को प्रतिवर्ष मो0 85,000/- पचासी हजार रूपये का भुगतान निश्चित रूप से करेंगे।

5. यह कि द्वितीय पक्ष किरायेदार परती जमीन पर पेट्रोल पंप बनाकर अपना व्यवसाय चलाएंगे।

6. यह कि बिहार सरकार का सालाना लगान /व्यवसायिक लगान/ कर द्वितीय पक्ष ही भुगतान करेंगे।

7. यह कि किरायेदार उपर्यूक्त भूमि को केवल उपर्युक्त अंकित कार्य के लिए उपभोग करेंगे। उसमें किसी प्रकार का अनैतिक व्यवसाय / अपराधिक किस्म का व्यापार नही करेंगे। केवल पेट्रोल पम्प एवं अन्य के लिए उपयोग एवं उपभोग करेंगे। जमीन की लम्बाई एवं चौडाई आई0 ओ0 सी0 एल0 क्राईटेरिया के अनुसार होगा।

8. यह कि कंडिका 5 में वर्णित जमीन में उपरोक्त के खाना नं0 2 में वर्णित लेख्यधारी द्वारा अपने खर्च पर सुलभ रास्ता उपलब्ध कराया जाएगा।इसका मूल्य लेख्यकारी को भुगतान नही करना पडेगा।

9. यह कि कंडिका 5 में वर्णित सम्पति परती जमीन है, तो उसपर द्वितीय पक्ष अपने खर्च पर संरचना करेंगे।

10. यह कि किरायेदार किसी भी प्रकार का कर्ज किसी वितीय संस्थान या बैंक से किरायेदारी वाले परिसर पर नही लेंगे।

11. यह कि कंडिका 5 में वर्णित जमीन में पेट्रोल पम्प व्यवसाय ही होगा पेंट्रोल पम्प हो जाने पर यह जमीन आई0 ओ0 सी0 एल0 कम्पनी का द्वितीय पक्ष (किरायेदार) द्वारा सबलीज कर देंगे।

12. यह कि पेट्रोल पम्प की अनुज्ञप्ति नही मिलने पर यह लीज स्वतः रद्द हो जाएगा ।

13. यह कि प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष यह प्रतिज्ञा करते है कि किराये अवधि के पहले कोई भी पक्ष किरायेदारी वाले परिसर /परती जमीन न तो खाली करने को कहेंगे और न ही खाली करेंगे।पट्टानामा की अवधि तक जमीन की विक्री नही की जाएगी।

14. यह कि किराये नामें की अवधि समाप्त होने के पुर्व उभय पक्ष सहमति से नये शर्तो के अनुसार पुनः किरायनाम के लिए अलग से नवीकरण कर कार्य विस्तार कर सकते है सहमति नही होने पर द्वितीय पक्ष अपना सारा सामान ईट मिट्टी एवं अन्य सामान उठा लेंगे।

15. यह कि किसी भी पक्ष द्वारा इस विलेख की शर्तों का उल्लंघन करना नाजायज होगा और प्रभावित पक्ष को सक्षम न्यायालय की शरण लेने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा।

प्रमाणित किया जाता हैं कि इस विलेख में निहित सम्पति/भूमि सभी प्रकार के ऋणभार एवं स्वत्व दोष से मुक्त हैं और खास महाल गैर मजरुआ ,सिलिंग, भूदान, लाल कार्ड, कैसरें हिन्द ,धार्मिक न्यास बोर्ड, वक्फ बोर्ड एवं अन्य किसी प्रकार की सरकारी भूमि नही हैं यह भूमि सरकारी अर्जन एवं निबंधन से रोक मुक्त है। यह विलेख पट्टानामा आज दिनांक को गवाहों के समक्ष निष्पादित किया जो गवाहों के हस्ताक्षर से संपुष्ट होते है।

भूमि की जाँच की 21/8/21

उपर्यूक्त शर्तों के अनुसार यह किरायेनामा विलेख समझ बुझकर लिख दिया जो समय पर काम आवें वो प्रमाण रहें।

लेख्यधारी/पट्टाधारक

खुशी कुमारी
21·8·2021

लेख्यकारी/पट्टाकर्ता

जवाहर प्रसाद
21/8/21

दिनांक–21/08/2021

प्रारूपकर्ता

मो० रियाज अहमद
L. No. 97/2000

बिहार भूमि

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,बिहार सरकार

प्रपत्र-XIV ख

(देखें नियम-10)

लगान रसीद

ऑनलाइन

Running Unique No : 06022021045019338075
(Receipt No.)

जिला - Khagaria	अंचल - Khagaria
हल्का - बछौता	मौजा - बछौता
जमाबंदी सं0 - 68 भाग वर्तमान - 1 पृष्ठ संख्या - 3204	मौजा/थाना सं0 - 190
जमाबंदी रैयत का नाम - द्वारिका सिंह अभिभावक का नाम - रामलाल सिंह	DSH

खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा/डिसमिल
168,190,444,69	356,337,629,929,945	1 एकड़ 131.291 डिसमिल 0 हेक्टर

सालाना माग(बकाया और वर्तमान) चालू वित्तीय वर्ष का

वित्तीय वर्ष	सालाना दर	बकाया	वर्तमान	सूद	कुल	अभियुक्ति(बकाया का वर्ष कब से कब तक)
जमाबंदी लगान	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	2020-2021 से 2020-2021
सेस(लगान का 50 प्रतिशत स्वास्थ्य सेस, 50 प्रतिशत शिक्षा सेस, 25 प्रतिशत रोड सेस एवं 20 प्रतिशत कृषि सेस)	261.00	0.00	261.00	0.00	270.00	2020-2021 से 2020-2021
कुल	441.00	0.00	441.00	0.00	450.00	2020-2021 से 2020-2021

वसूली

वित्तीय वर्ष	बकाया के विरुद्ध वसूली	वर्तमान मांग के विरुद्ध कुल वसूली	कुल वसूली	अवशेष राशि(बकाया का वर्ष कब से कब तक)	अभियुक्ति
लगान	0.00	180.00	180.00	2020-2021 से 2020-2021	
सेस(लगान का 50 प्रतिशत स्वास्थ्य सेस, 50 प्रतिशत शिक्षा सेस, 25 प्रतिशत रोड सेस एवं 20 प्रतिशत कृषि सेस)	0.00	261.00	270.00	2020-2021 से 2020-2021	
कुल	0.00	441.00	450.00	2020-2021 से 2020-2021	

कुल बकाया-450.00

वसूल की गयी राशि शब्दों में- Four Hundred Fifty Rupees

तिथि- 06-02-2021

यह एक कम्प्यूटर जनित प्रति है।
यह रसीद केवल धारी की जानकारी के लिए है।
इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

Bank Name ....

LAND POSSESSION CERTIFICATE

Place [illegible]

Date [illegible]

Cer[illegible] ate that Shri [illegible] .... of village [illegible] .... whose [illegible] .... acers of agricultural [illegible] is attested below [illegible] of which is given below. [illegible] ing land under his posssion as per [illegible] record, the schedul[illegible] of which is given below. The [illegible] of his land under reference has been paid up to the year [illegible]

LAND SCHEDULE

Sl No.	Touza No.	Khata No.	Khesra No.	Area A Bigha	Area A Khata	Area D Dhoor	BOUNDARY N	BOUNDARY S	BOUNDARY E	BOUNDARY W
[illegible]		168	[illegible]	[illegible]						
		190	847	[illegible]						
		444	882	[illegible]						
			[illegible]							
		[illegible]	842							

[illegible]

Signature of Circle Officer

[illegible signature]

Stri[illegible] out which is not applicable

Sign[illegible] re of the land owner

[illegible] signature attested

Sign[illegible] re of Circle Officer

कार्यालय अंचल अधिकारी खगड़िया

वंशावली प्रमाण पत्र

क्रमांक:- 52 / दिनांक:- 15.4.17

राजस्व कर्मचारी के जाँच प्रतिवेदन एवं सपथ पत्र से 1907 दिनांक - 09.02.2017. के आलोक में आवेदक जवाहर प्र० सिंह पे० स्व० द्वारिका सिंह. ग्राम - बछौता. थाना - मु० खगड़िया. जिला - खगड़िया. के वंशावली निम्न प्रकार है।

स्व० द्वारिका सिंह
↓
स्व० रामउदगार सिंह
↓

जवाहर प्रसाद सिंह	अशोक सिंह	अरुण सिंह	अनिल सिंह	अजीत सिंह	सुजीत सिंह

अंचल अधिकारी
खगड़िया

अंचलाधिकारी
खगड़िया

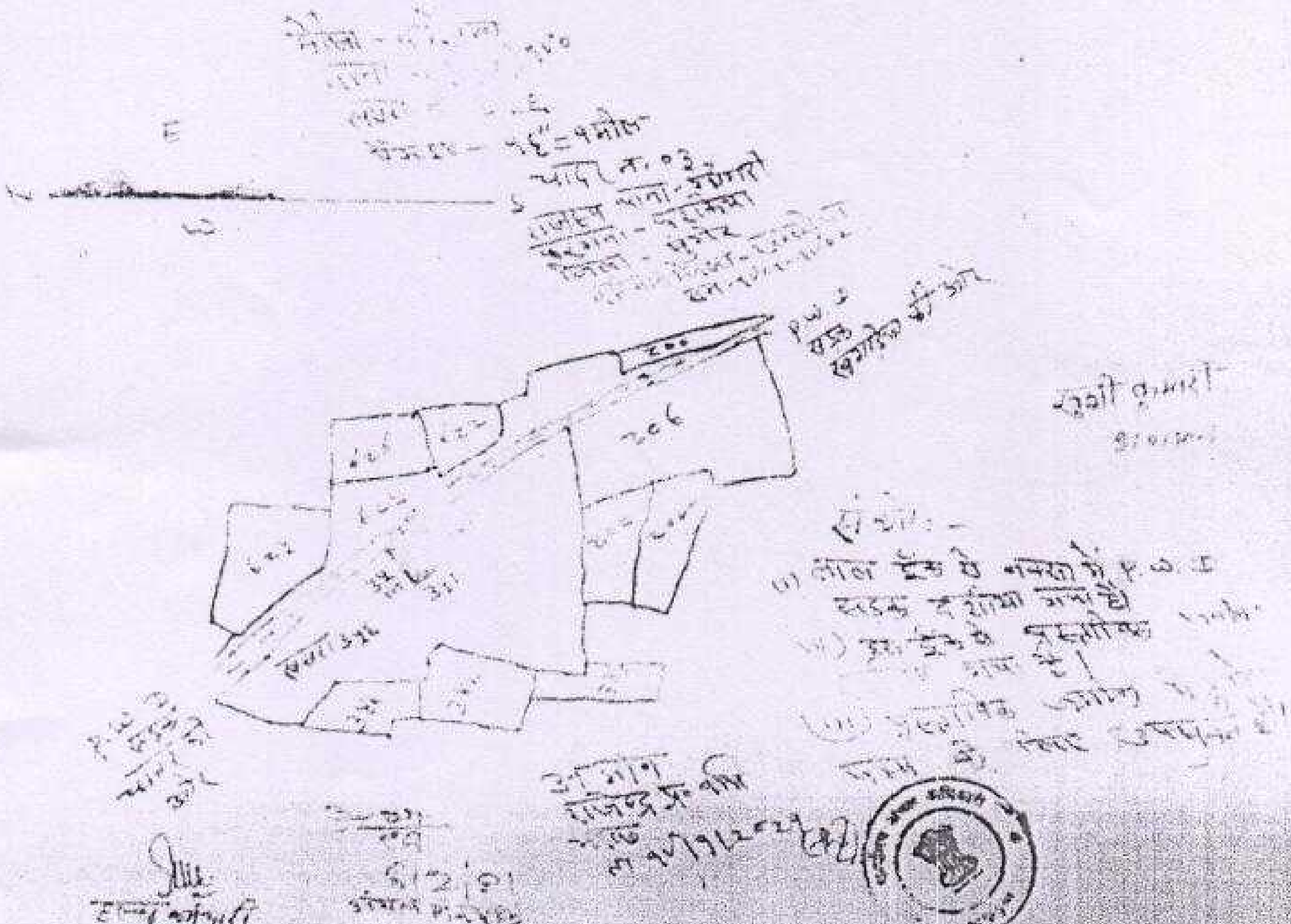

206

नजरी नक्शा

मौजा बघौरा
थाना नं० -190
खेसरा -356
रकबा - [illegible] 10 डी

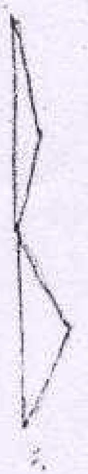

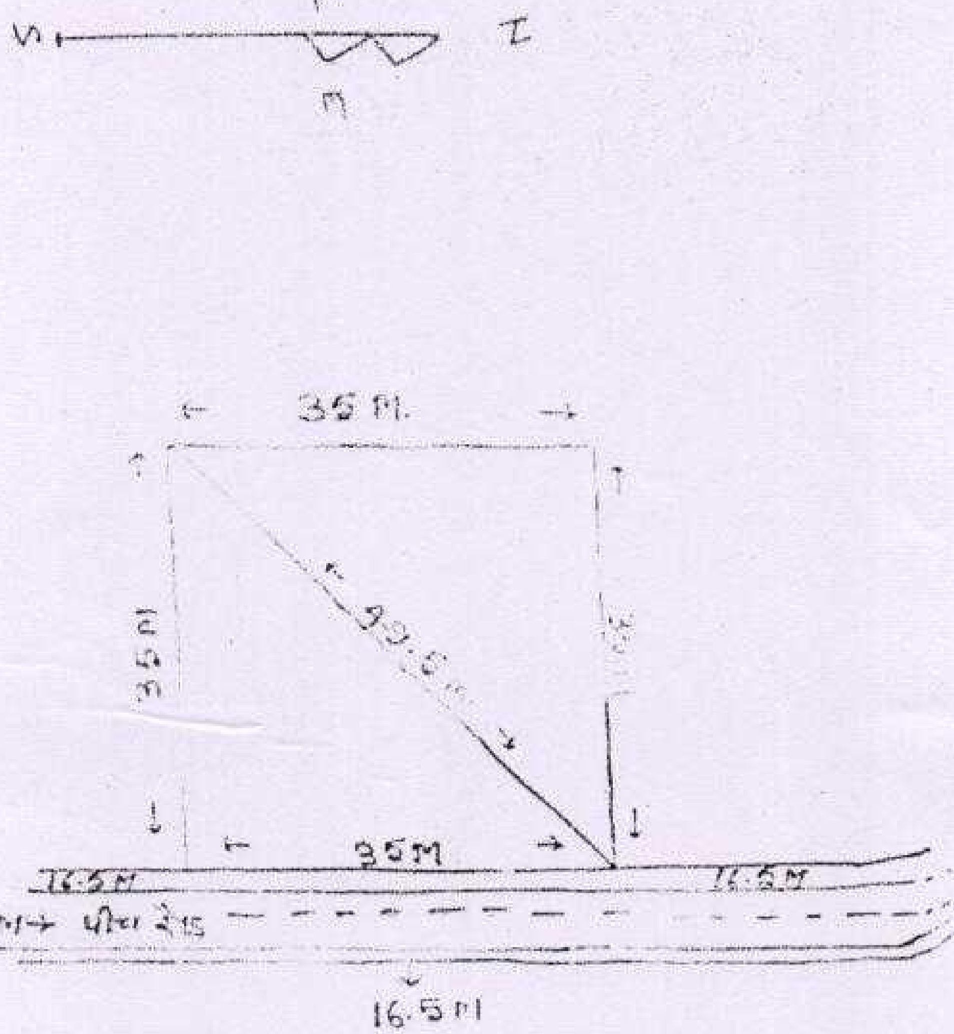

खुशी कुमारी